



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243790
CG-DL-E-22022023-243790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 766]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

का.आ. 799(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोयला मंत्रालय में का.आ. सं. 2475 तारीख 17 अगस्त, 1999 के माध्यम से, तारीख 04 सितम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन और शर्त संख्या (v) के पश्चात, निम्नलिखित निबंधन और शर्त शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

“(vi) खंड (iv) के होते हुए भी, सरकारी कंपनी ऐसी निहित कुल भूमि में से खंड (vii) में यथा-निर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, कोयला मंत्रालय में तारीख 22 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43022/1/2020-एलएआईआर के जरिए भारत सरकार द्वारा जारी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है।

(vii) तारीख 04 सितम्बर, 1999 के उपर्युक्त आदेश द्वारा उक्त सरकारी कंपनी को कुल 208.13 हेक्टेयर या 514.31 एकड़ और 2.23 हेक्टेयर या 5.51 एकड़ (लगभग) भूमि निहित की गई थी। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के तहत जारी और तारीख 13 अगस्त, 1998 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. सं. 1600 के अनुसार, नीतिगत दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निबंधन और शर्तों की पूर्ति के अधीन, ग्राम कुनाड़ा, पटवारी सर्कल सं. 28, तहसील भद्रावती, जिला - चंद्रपुर, महाराष्ट्र में अधिग्रहित

78.43 हेक्टेयर या 193.80 एकड़ भूमि में से 5.48 हेक्टेयर या 13.541 एकड़ (प्लॉट संख्या 179/1, 179/2, 181) भूमि का उपयोग मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल) द्वारा बल्क लोडिंग इमल्शन (बीएलई) संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।”

[फा. सं. 43022/01/2023-एलएएंडआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 21st February, 2023

S.O. 799(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Coal vide S.O.No. 2475 dated 17th August, 1999, published in the Gazette of India on dated 4th September, 1999 :-

2. In the said Order, after terms and condition number (v), the following terms and condition shall be inserted, namely

“(vi) Notwithstanding clause (iv), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (vii) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022.

(vii) The total 208.13 hectares or 514.31 acres and 2.23 hectares or 5.51 acres (approximately) land was vested to the said Government company vide above Order dated 4th September, 1999. As per notification S.O.No. 1600 issued under section 9(1) of CBA (A&D) Act, 1957 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13th August, 1998, the 78.43 hectares or 193.80 acres of land was acquired in village Kunada, Patwari Circle No.28, Tahsil Bhadrawati, District – Chandrapur, Maharashtra, out of which 5.48 hectares or 13.541 acres (plot numbers 179/1, 179/2, 181) of land can be used for installation of **Bulk Loading Emulsion (BLE) plant by M/s. Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL)**, subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines.”

[F. No. 43022/01/2023-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.